

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी, राँची।
पत्रांक-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016-1706

प्रेषक,

अजय नाथ झा,
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

राँची, दिनांक: 10-09-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र/छात्राओं के आवेदन की तिथि एवं आवेदन के सत्यापन से संबंधित विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासराज

25/09/24
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016 - 1706

राँची, दिनांक-10-09-2024

प्रतिलिपि-Centre for good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/09/24
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016 - 1706

राँची, दिनांक-10-09-2024

प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/09/24
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016 - 1706

राँची, दिनांक-10-09-2024

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।


वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रवेशोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र-2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की जाती है:-

क0	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि।	15.09.2024
2.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन की सत्यापन की अंतिम तिथि।	15.09.2024
3.	संबंधित जिले के DNO द्वारा आवेदन की स्वीकृति की अंतिम तिथि।	30.09.2024

अन्य दिशा-निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website-ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के INO को अंतिम रूप से सूचित की जा रही है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पोर्टल 15.09.2024 के बाद नहीं खोला जाएगा।


आदिवासी कल्याण आयुक्त।